



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052025-263402
CG-DL-E-27052025-263402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2279]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947

No. 2279]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

का.आ. 2333(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय की, अधिसूचना संख्या का.आ. 1717 (अ) दिनांक 13/04/2023, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित है, में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

अनुसूची के कॉलम 7 (गांव का नाम) में तालुका पुरलिया-II के अंतर्गत अनुसूची के क्रमांक 23 में एक अतिरिक्त गांव “घोंगा (जे.एल. सं. 27)” जोड़ा गया है और “घोंगा (जे.एल. सं. 27)” गांव, जो कि पूर्व में तालुका पुरलिया-I के अंतर्गत क्रमांक 15 पर अधिसूचित था, उसको हटा दिया गया है।

[फा. सं. NI/2023/60901]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 26th May, 2025

S.O. 2333(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1717 (E) Dated 13/04/2023 Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3 Sub-section (ii).

In other words:

In Column 7 (Name of the village) of the schedule under Taluka Purulia-II an additional village Ghongha (JL. No. 27) is added at Sr. No. 23 and the same village (Ghongha, JL. No. 27) notified at Sr. No. 15 against Taluka Purulia-I is deleted.

[F. No. NI/2023/60901]

SHAIKH AMINKHAN, Director